

संपादकीय

दुबई में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना
दुबई एयर शो में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना इसलिए और अधिक दुखद है, क्योंकि इसमें पायलट की जान भी चली गई। लड़ाकू विमानों के पायलट इसलिए कहीं अधिक कीमती होते हैं, क्योंकि वे गहन प्रशिक्षण के बाद तैयार होते हैं। उनके न रहने से देश कुशल सैनिक के साथ उनकी ओर से अर्जित की गई क्षमता से भी वंचित हो जाता है। हवाई करतब के जरिये अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहा तेजस ऐसे समय दुर्घटना का शिकार हुआ, जब वह दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा था। दुबई एयर शो में विमानन क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों की भागीदारी होती है। यह शो एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक ऐसा मंच बन गया है, जहां विमानों की खरीद-बिक्री के सौदे होते हैं।

स्पष्ट है कि ऐसे मंच पर तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना कहीं अधिक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसे स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना के लिए किसी तरह के आघात की संज्ञा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा लड़ाकू विमान नहीं, जो दुर्घटना से दो-चार न होता हो। अति उन्नत माने जाने वाले लड़ाकू विमान भी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। तथ्य यह भी है कि किसी एयर शो में लड़ाकू विमान के साथ पेश आने वाला यह पहला हादसा नहीं। इसी अगस्त में पोलैंड में आयोजित एयर शो में अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 हवाई करतब दिखाते हुए ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके पहले भी कई एफ-16 विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इसकी तुलना में नौ वर्ष पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए तेजस के साथ पेश आया यह दूसरा हादसा है।

चूंकि तेजस अपनी क्षमता सिद्ध कर चुका है, इसीलिए वायुसेना ने उसकी खरीद के बड़े आर्डर दिए हैं। तेजस के चलते भारत की गिनती उन चंद देशों में होने लगी है, जिन्होंने अपने लड़ाकू विमान का निर्माण खुद किया है। वायुसेना ने तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट आफ इन्क्वायरी का जो आदेश दिया, उसके निष्कर्षों को लेकर इस लड़ाकू विमान का निर्माण करने वाली कंपनी एचएल को भी सजग रहना चाहिए। इस हादसे को एक चुनौती मानकर उससे पार पाने का संकल्प लिया जाना चाहिए। भारत पहले भी इस तरह की चुनौतियों से

पार पा चुका है। जितना आवश्यक यह है कि पर्याप्त संख्या में तेजस लड़ाकू विमान समय रहते तैयार किए जाएं, उतना ही यह भी कि उन्हें और अधिक उन्नत एवं समर्थ बनाने को प्राथमिकता दी जाए। यह कोशिश खास तौर पर होनी चाहिए कि इस लड़ाकू विमान के अधिकाधिक उपकरण स्वदेशी ही हों। सबसे अधिक आवश्यक यह है कि इन विमानों के इंजन के लिए अमेरिका पर निर्भरता खत्म की जाए। ऐसा होने पर तेजस के लिए विश्व बाजार में स्थान बना लेना भी आसान हो जाएगा।

तमिल राजनीति और केंद्र-राज्य टकराव

राष्ट्रपति और
राज्यपालों द्वारा
विधेयकों पर स्वीकृति
देने के लिए पहले इसी
अदालत द्वारा निर्धारित
अपनी ही समय-सीमा
वापस जरूर ले ली, पर
असाधारण स्थितियों
में राज्यों के लिए
अदालत का दरवाजा
भी खुला रहने दिया
है। मुख्य व्यायाधीश
बीआर गवर्नर की
अध्यक्षता वाली पीठ
ने इस बात पर जोर
दिया कि व्यायालय
का ये पालि का
की शक्तियों का
अतिक्रमण नहीं कर
सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 20 नवंबर को राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए पहले इसी अदालत द्वारा निर्धारित अपनी ही समय-सीमा वापस ज़रूर ले ली, पर असाधारण स्थितियों में राज्यों के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खुला रहने दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह भी कहा है जब कोई

राज्यपाल कानून बनाने की प्रक्रिया में 'लंबी, अस्पष्ट और अनिश्चित' देरी का कारण बने, तब राज्य सरकार अदालत की शरण ले सकती है। इस तरह से अदालत ने केंद्र और राज्यों के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दे में नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8 अप्रैल के फैसले के कारण तमिलनाडु के जिन 10 कानूनों पर राज्यपाल की स्वीकृति मान ली गई थी, उनकी स्थिति क्या होगी। कुछ संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि वे कानून बन चुके हैं और उनकी अधिसूचना गजट में भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें स्वीकृत मान लेना चाहिए।

दशकों से देश राज्यपालों की भूमिका को लेकर विमर्श कर रहा है, पर रास्ता अभी तक नहीं निकला है। हां, इतना जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बोम्बई मामले में फैसले के बाद राज्यों में सरकारों की बर्खास्तगी का चलन खत्म हो गया और सरकारों के बनने-बिंगड़ने का स्वीकृत मिलांत बन गया। अप्रैल में न्यायिक-हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ था, जब गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच तनाव चरम पर था। खासतौर से तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके सरकार भाषा तथा मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह

The image shows the exterior of the Supreme Court of India. The building is a large, white, domed structure with a red brick base and columns. It is surrounded by a green lawn and several trees. The sky is clear and blue.

प्रवेश परीक्षा 'नीट' से छूट को लेकर केंद्र सरकार के साथ टकराव की मुद्रा में थी। इस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। गत 15 नवंबर को उन्होंने एक और याचिका दायर की है। इन बातों को अगले छह महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव की पूर्व-पीठिका के रूप में भी देखना चाहिए। देश में शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। इसे लेकर कई तरह के टकराव हैं। पिछले कुछ समय से तमिलनाडु सरकार ने तीन भाषा सूत्र, चुनाव-क्षेत्र परिसीमन और 'नीट' जैसे मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन मामलों के कारण राजनीतिक-कोलाहल तो हुआ है, पर बुनियादी तौर पर कुछ हुआ नहीं है।

इस साल अप्रैल में, उच्चतम न्यायालय के दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने राज्यपालों के लिए लंबित विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु एक समय-सीमा निर्धारित की थी। अदालत ने पहली बार यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय करें। यह निर्णय इस बात की स्वीकृति थी कि, हाल के दिनों में, राजभवनों ने विपक्ष शासित राज्यों में राज्यविधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों में दर्शक करके एक अवरोधक भूमिका निभाई है। चूंकि अदालत ने राष्ट्रपति को विलंब वे परिणामों पर सख्त समय-सीमा का निर्देश दिया था, इसलिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठा। मई में सर्वोच्च न्यायालय के भेजे एक संदर्भ में, राष्ट्रपति द्वैपदी मुर्मु ने इसके फैसले पर 14 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। मुख्यमन्त्री यह है कि क्या न्यायालय ने राज्यपाल को द्वारा उत्पन्न संविधानिक गतिरोध को दूर करने के प्रयास में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अतिक्रमण किया है, जो संविधान के मूल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अदालत ने अब संतुलित रुख अपनाते हुए अपनी सलाह में कहा है कि न्यायपालिका के 'विधायी प्रक्रिया में दखलंदाजी' की अनुमति देना 'शक्तियों के पृथक्करण की दीवारों को तोड़ना' होगा। साथ ही यह भी कहा, 'इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकत कि न्यायिक समीक्षा भी मूल ढांचे का एक हिस्सा है...' हालांकि, यह न्यायिक समीक्षा कोई बेलगाम दायरा नहीं है जो शक्तियों के

पृथक्करण के सिद्धांत को नकार या नष्ट कर सके।' केंद्र सरकार ने भी अप्रैल के फैसले को लेकर टकराव पैदा करने के बजाय, न्यायालय से राय मांगकर अच्छा किया। वस्तुतः राज्यपाल को 'रबर स्टैंप' मानना भी उस समयबद्धता को परिभाषित भी कर दिया। इससे विधानमंडल से पास हुए विधेयकों के बारे में राज्यपालों का विशेषाधिकार सीमित हो गया था। इस निर्णय का महत्व तमिलनाडु के राज्यपाल की निंदा से कहीं अधिक था।

अनुचित है। संविधान ने राज्यपाल को एक ऐसी कड़ी के रूप में देखा है जो बहुस्तरीय व्यवस्था के दो स्तरों को जोड़ती है, न कि उन्हें विभाजित करती है। अलबत्ता अब न्यायालय की राय यह भी दर्शाती है कि उसकी भूमिका 'स्पष्ट परिस्थितियों' तक सीमित है। अब अदालत ने अपनी सलाह में कहा है कि राज्यपालों की तथाकथित 'निष्क्रियता' के बावजूद, 'संवैधानिक न्यायालय राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेक और विचारों का स्थान नहीं ले सकते'। तमिलनाडु विधानसभा से पास होने के बावजूद दस विधेयकों को रोक कर रखने के राज्यपाल आरएन रवि के फैसले को अवैध करार देते हुए अप्रैल में उच्चतम न्यायालय ने एक संवैधानिक पेच को लेकर दस्ता का दिया। पांचप्रेरित राज्य

खाल जरूर कर दिया, पर इससे कट्ट-राज्य संबंधों और राज्यपालों की भूमिका से जुड़ी पहलियों का हल पूरी तरह नहीं हुआ था। हाल के वर्षों में कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य विधान परिषदों में नामांकन और राज्यपाल द्वारा पारंपरिक अभिभाषण के संपादन या सदन को बुलाने पर दुर्भाग्यपूर्ण रस्साकशी तो हुई ही है, विधानमंडलों से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी या इनकार जैसे कार्य भी हुए हैं। तमिलनाडु, केरल और बंगाल में सरकारों और राज्यपालों के बीच ऐसे कई विवाद खड़े हुए हैं। विधानमंडल से पास हुए विधेयकों को रोकने की शक्ति को लेकर 2023 में, पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल निवाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अदालत के अप्रैल के फैसले ने का सुप्रीम कांट का रुख करत हुए राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी न दिए जाने के फैसले को फिर चुनौती दी है। 'नीट' से छूट हासिल करना राज्य के दशकों पुराने नीतिगत विमर्श का फिलहाल अनिर्णीत अध्याय है।

केंद्रीय नीति के खिलाफ राज्य का कानून बनाने का इतना लंबा कोई अन्य प्रयास नहीं रहा है। सितंबर 2017 में, 'नीट' विरोधी दो विधेयकों का राष्ट्रपति भवन में यही हश्च हुआ। चार साल बाद, सत्तारूढ़ डीएमके ने, 'नीट' से छूट को अपना चुनावी वायदा बनाया। सरकार बनाने के बाद जस्टिस एके रंजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा में 2021 में विधेयक पारित किया। उसे स्वीकृति नहीं मिली, जिसे लेकर सरकार अब फिर सुप्रीम कोर्ट गई है।

प्रृष्ठा

एक प्राथेना, जो किसी मंदिर में नहीं-मन के सबसे शांत कोने में जन्म लेती है

थी। पूरा गाँव हल्के कुहासे से ढका हुआ था और आसमान में कहीं एक हल्की सुनहरी रेखा तैर रही थी, मानो सूर्य खुद भी आज थोड़ा देर से जागना चाहता हो। यह वही दिन था जब विनायक चतुर्थी पड़ती थी—वह तिथि, जब लोग भगवान गणेश से अपने जीवन के सारे अटके हुए कामों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। पर इस बार गाँव के माहौल में कुछ बदला हुआ था, जैसे हवा में कोई पुरानी कथा फिर से जाग उठी हो, कोई भूला हुआ आशीर्वाद फिर से लौट आया हो।

गाँव के बीचोंबीच एक छोटा-सा पुराना मंदिर था—उसके पथरों में बोते युगों की थकान भी थी और आस्था की ताजगी भी। लोग सुबह-सुबह वहीं इकट्ठा होते, पर एक आदमी ऐसा था जिसकी पदचाप सबसे पहले उस मंदिर की देहरी छूती थी। उसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था—लोग उसे बस “गणेश दास” कहते थे। वह सचमुच गणेश का दास न था, पर गाँव में यह मान्यता थी कि उसके भीतर कोई ऐसी ज्योति है जो सामान्य लोगों में नहीं होती।

कहते हैं कि बरसों पहले वह किसी बड़े नगर में पढ़ता था। उसका परिवारा सम्पन्न था, और उसका जीवन भी बिल्कुल अलग रहा करता था। लेकिन एक दिन, अचानक, वह सब छोड़कर इस गाँव में चला आया। लोग पूछते, तो वह बस मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने आत्मा के सबसे लिपे हुए कोने में दीपक जला दिया हो—बिना किसी दुःख की छाया, बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए, सहसा प्रकाशित और

मंदिर में पहले पहुँचता, धंटा बजाता, और मंत्र ना शुरू कर देता। उसके स्वर में कोई कठोरता थी—मानो वह मंत्र केवल पढ़ नहीं रहा, बल्कि नीं साँसों में उन्हें पिरो रहा हो, जैसे संसार का हर तरफ उसके स्वर में तैरता हुआ शांत हो जाता हो। लोग जरूर जानते कि जो काम वर्षों से अटका हो, वह उसके जपे मंत्रों के बाद अचानक सरल हो जाता है।

वह के पंडित को भी उसकी उपस्थिति अजीब लगती—वह एक अद्भुत तेज लिए थूमता, और कोई भी स्वर से नाराज़ नहीं रह पाता। बच्चे उसे प्यार करते, उसका सम्मान करते, और महिलाएँ उससे दूर रहतीं—शायद इसलिए क्योंकि उसकी आँखों में वह ऐसा संयम था, कोई ऐसा सौम्य त्याग, जो स्त्रियाँ ज ही समझ जाती हैं।

एक दिन—विनायक चतुर्थी की विशेष सुबह—वह लेले से भी ज्यादा शांत था। उसने मंदिर की चौखट पैर रखते ही आँखें बंद कर लीं, जैसे किसी देखेखी हवा ने उसका चेहरा छू लिया हो। कुहासे के स्वर से सूरज की एक पतली किरण सीढ़ियों पर गिर थी। उसने धोरे से दीप जलाया, फूल चढ़ाए, और मंत्र जा शुरू किया। उसका स्वर इतना धीरे, नाग हगरा था कि वह स्वर नहीं, किसी पुरानी समृति प्रतिष्ठनि लगते थे।

केन कोई जानता नहीं था कि उसकी हँसी क्यों हो गई थी और उसकी आँखों में वह अनकहा कहाँ से आता था। गाँव में एक ही अफवाह थी कभी उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे

तो कहा—मंगेतर, किसी ने कहा—उसकी पर सच किसी को नहीं पता था। हाँ, इतना तो था कि जब से वह व्यक्ति उससे अलग हआ दमी हंसना भूल गया था। उसके चेहरे मुस्कान नहीं आती थी—सिर्फ एक शांत, भीर प्रकाश था, जो दूसरों के लिए शांति का निन्माना था, पर उसके भीतर कहीं एक अधूरा चाप दबा हुआ था।

उस सुबह जो मंत्र बोले—वे गाँव की हवा में यथारहट पैदा कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि आवाज अलग लग रही थी, जैसे वह स्वयं कुछ मांग रहा हो। पहली बार उसने अपने भैरवना की थी। पहली बार उसने अपने टूटे हुए एक टुकड़ा मंत्रों में रखकर देवता के चरणों परेया था। वह धीरी आवाज में कह रहा था, हरहां, मेरे भीतर जो अवरोध है, उन्हें दूर कर मेरी अधूरी कहानी से मुक्त कर दो।”

बैठे बूढ़े ने पहली बार देखा कि उसकी आँखें बूढ़े ने उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कितनी अजीब बात है—जो आदमी दूसरों विघ्न दूर करता है, उसके अपने ही विघ्न देख पाता।

पर लोग कह रहे थे कि उनके काम बनने लगे उसी का बकाया पैसा मिल गया, किसी की करी लग गई, किसी की बहू का इलाज सफल वर में लोग उसी को इस चमत्कार का करण है। पर वह आदमी चुप-सा चला जाता, जैसे उत्तरांश का विमर्श करता जाने हृत कर देने वाले तो बस उस आवाज का इंतजार कर रहा था—एक ऐसी आवाज, जिसने वर्षों पहले उसकी दुनिया बदली थी और फिर उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई थी। रात हुई तो वह मंदिर में फिर लौटा। अकेते। बिना किसी आडंबर के। उसने दीप जलाया, और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आँखें बार-बार गीली हो उठीं, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं आई। वह जानता था—कुछ दर्द समय से नहीं मिटते, केवल आत्मा की सतह से नीचे उतरकर शांत हो जाते हैं। उसने अधिखीरी बार मंत्र पढ़ा, फिर अपनी हंसी की जगह एक धीमी-सी साँस छोड़ी—जैसे कोई पुराना बोझ हवा में घुलकर हल्का हो गया हो। और कहा जाता है कि उस विनायक चतुर्थी की रात उसके भीतर कुछ बदल गया—न काई चमत्कार, न कोई दिव्यता, बस एक गहरी, शांत स्वीकृति। जैसे उसने जीवन को ऐसे स्वीकार कर लिया हो, जैसे वह वर्षों से इसे स्वीकार करना चाह रहा था।

गाँव वाले अगले दिन भी उसे मंदिर में देखने को आए—वह वहीं था। वही शांत चेहरा, वही सौम्य आँखें, पर एक नई-सी चमक थी। एक हल्की मुस्कान लौट आई थी—वही नहीं, लेकिन कुछ उसके जैसी—जैसे कोई टूटा हुआ दीपक फिर से जल उठा हो, थोड़ा कम उजाला करता हुआ, पर उतना ही सच्चा। और लोग कहते हैं—उस दिन से उसका जपा हुआ मंत्र और भी प्रभावी हो गया। क्योंकि पहली बार वह मंत्र सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी सच हो गया था।

झूटे आरोपों पर टिका विपक्ष, भाजपा की राजनीतिक बढ़त रोकने के लिए गढ़ रहे नैरेटिव

नातश कुमार न बिहार क मुख्यमंत्री क रूप में दसवीं बार शपथ ले ली और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया, पर यह चर्चा थम नहीं रही कि आखिर राजग ने इतनी प्रचंड जीत कैसे हासिल कर ली। चुनावी जीत कई कारणों पर निर्भर करती है। बिहार में राजग की जीत के भी कई कारण रहे।

एक बड़ा कारण रहा जदयू-भाजपा के साथ उसके अन्य सहयोगी दलों के बीच बेहतर सीट बंटवारा और तालमेल। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण है नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार का पटरी पर आना। इसका संज्ञान इसलिए अधिक लिया गया, क्योंकि इसके पहले लालू-राबड़ी यादव का शासनकाल इस कदर जंगलराज का पर्याय बन गया था कि पिछले चुनावों की तरह इस चुनाव में भी मुद्दा बना और उसने अपना असर भी दिखाया।

विपक्ष यह सब देखने से इन्कार कर रहा है। विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस बोट चोरी का ही राग अलाप रही है। बोट चोरी का आरोप चुनावों के पहले तभी उछाल दिया गया था, जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराना शुरू ही किया था। विपक्ष ने बोट चोरी का आरोप लगाकर धरना-प्रदर्शन करने के साथ बोटर अधिकार आता तक निकाली, लेकिन चुनाव आते-आते यह कोई मुद्दा ही

से आ बस लाग के लिए काइ जगह नहीं हो सकती। उन्हें निकालने के लिए अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए, क्योंकि यह काम चुनाव आयोग का नहीं कि वह धूसपैटियों के खिलाफ कदम उठाए। बांग्लादेशी धूसपैटिए इसीलिए लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एसआईआर के चलते उनकी पोल खुल जाएंगी।

यह उम्मीद की जाए कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया से बंगलाल समेत सभी राज्यों में बोटर लिस्ट दुरुस्त होगी। चूंकि इसके पहले बोटर लिस्ट ठीक करने का काम करीब दो दशक पहले हुआ था, इसलिए उसमें तमाम खामियां घर कर गई हैं। बोटर लिस्ट में केवल दोहराव ही नहीं है, उनमें मृकतों और अन्यत्र बस गए लोगों के नाम भी दर्ज हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बोटर लिस्ट का सही होना आवश्यक है।

समझना कठिन है कि विपक्षी दलों को बोटर लिस्ट ठीक किए जाने से क्या परेशानी है। वे बोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी करते हैं और एसआईआर भी नहीं होने देना चाहते। आखिर एसआईआर पहली बार तो हो नहीं रहा। उसे कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इसीलिए सुरीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने की जरूरत नहीं समझी। सुरीम कोर्ट की ओर से एसआईआर को जरूरी बताए जाने के बाद

आभ्यान

ी पहली घंटी और गणेश मंत्रों की दिव्य ध्वनि ने परे गाँव को आशीर्वाद की सनहरी रोशनी में डबो दिया

मार्गशीर्ष का महीना हमेशा से ही अपने भीतर एक अद्भुत शांति समेटे रहता है, लेकिन उस वर्ष की विनायक चतुर्थी कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थी। रात ढलते ही गाँव के ऊपर आकाश में सितारे पहले से ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती पर उतरने वाली हो। सरकंडे की झाड़ियों में से आती थीमी हवा मिट्टी की महक को अपने साथ लिये गलियों में धूम रही थी। ऐसा लगता था कि प्रकृति स्वयं किसी दिव्य अतिथि के आगमन के स्वागत में व्यस्त है। और वही था — भगवान गणेश का पावन दिन, वह चतुर्थी जिसे भक्त पूरे मन, पूरे विश्वास, पूरे प्रेम से मनाते हैं। गाँव के मंदिर में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। पुजारी जी भोर से पहले उठकर मंदिर की सीढ़ियाँ धो रहे थे, और उन सीढ़ियों पर गिरती हर बूंद सूर्योदय से पहले ही चमकने लगती थी मानो अंधकार भी उस पवित्र स्पर्श के आगे झुक रहा हो। कुछ महिलाएँ घरों में मोदक और लड्डू बना रही थीं, जिनकी मीठी गंध पूरे वातावरण में फैल कर एक अनजानी खुशी जगाती जा रही थी। छोटे-छोटे बच्चे अपने मन में तमाम इच्छाएँ सजा कर गणपति के सामने रखने की तैयारी में थे—किसी को परीक्षाओं किसी को अपने पिता और किसी गणेश उनके जब पहली तब ऐसा लक्षण के लिए आज पृथ्वी आए हैं। और व्यक्ति अपने नए-स्वच्छ थाली सजाविस रहा। गिन रहा था वह और कोरा था। सबके किसी साधारण मंदिर में प्रमन में एक थी। भगवान कुछ अलग मोदक, सूँड़ा आँखों में वाले छू जाए गणपति स्वच्छिता है, मैंने लूँगा।” और भाव से अपने

घबराहट, हर पीड़ा उनके सामने रख देते थे।
आरती शुरू होते ही मंदिर की घंटियाँ ऐसी बज उठीं कि पूरा गाँव उस ध्वनि से गूँज उठा। वही क्षण वह था जब पुजारी जी ने वह मंत्र बोलना शुरू किया जिसे सुनने भर से मन का सारा बोझ उतर जाता है—
३० गं गणपतय नमः
और लोगों की आवाजें भी उसी लय में जुड़ गईं। हर एक शब्द, हर एक ध्वनि, हर एक कंपन हवा में दूर तक फैलता गया। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड की हर दिशा उस मंत्र का प्रत्युत्तर दे रही हो। वातावरण में उठता वह कंपन किसी साधना, किसी तपस्या, किसी दिव्य ऊर्जा का रूप लग रहा था। गाँव की एक बुजुर्ग महिला, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे वर्षों से गणपति के उपासक थे, धीरे से बोलीं कि आज यदि कोई अपने मन की इच्छा बोल दे, और गणेश मंत्र का जप करे, तो उसका काम अवश्य पूर्ण होगा, चाहे वह कितना भी अटका हुआ हो। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में कई बार ऐसा हआ कि जब सारी आशाएँ टूट गईं, तब

केवल एक मंत्र— वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ने पलभर में ऐसे परिणाम दिए जिन्हे चमत्कार कहने में भी कोई संकेत नहीं था। दिन धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और सूरज आसमान में ऊँचा चढ़ गया, परंतु भवित का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग मंत्रों का जप करते रहे—कभी धीमे स्वर में, कभी पूरे जोश के साथ, कभी आँखें बंद करके, कभी आँखू बहाते हुए। हर किसी को विश्वास था कि गणेश जी उनके जीवन की वह राह दिखा देंगे जो अभी तक धुंध में छिपी हुई थी।

संध्या का समय आया तो हवा और भी ठंडी हो गई। दीपक की लौ हल्की-हल्की डोलने लगी जैसे किसी प्राचीन कथा का संगीत हवा में घुल रहा हो। उस समय जब अंतिम मंत्रोच्चार किया गया, तब ऐसा लगा मानो समय थम गया है। बच्चों की हँसी मंद हो गई, हवा भी स्थिर सी हो गई, और हर व्यक्ति के हृदय में एक दिव्य शांति उत्तर आई।

लोगों ने न सिफ्र प्रसाद ग्रहण किया, बल्कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके भीतर कोई नया आत्मविश्वास जाग उठा हो। किसी को लगा कि उसकी अटकी हुई नौकरी अब निश्चित रूप से मिलेगी, किसी को लगा कि उसके घर का कलह अब समाप्त होगा, किसी को विश्वास हुआ कि उसका व्यापार अब नई राह पकड़ेगा। किसी को यह अहसास हुआ कि वे अब अकेले नहीं हैं—क्योंकि गणेश जी उनके साथ चलने वाले हैं।

इस प्रकार वह चतुर्थी न सिफ्र एक पर्व रही, न सिफ्र पूजा रही, बल्कि एक जीवित कथा बन गई—एक ऐसी कथा जो हर वर्ष नए अनुभव, नई भावनाएँ, नई आशाएँ लेकर लौटती है। और जो भी भक्त उस रात भगवान गणेश के मंत्रों का जप करता है, वह यह समझ लेता है कि विघ्नहर्ता केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह ऊर्जा हैं जो जीवन के हर ताले की चाबी बन सकती है, यदि मन सच्चे भाव से उन्हें पुकारे।

यदि आपके जीवन में भी किसी कार्य में रुकावट है, अगर कोई मार्ग धुंधला लग रहा है, अगर मन में भय या संदेह की परछाई है, तो इस पावन विनायक चतुर्थी पर मंत्र जप अवश्य करें। क्योंकि जब गणेश जी की कृपा उत्तरती है, तब न केवल बाधाएँ हटती हैं, बल्कि जीवन स्वयं प्रकाश बनकर खिल उठता है, और हर मनोकामना अपनी पूरी चमक के साथ सत्य होने लगती है।

उसका नाम गलत तरीके से काट दिया गया है। यानी जो नाम करे, वे सही करे। यदि ऐसा नहीं होता लोगों ने सड़कों पर उत्तरकर शिकायत की होती। ऐसे लोगों को समने लाकर राजनीतिक दल भी शिकायत नहीं कर सके तो इसीलिए कि उन्हें कोई ऐसा मिला ही नहीं।

चुनाव आयोग ने बिहार में कम समय में जिस तरह एसआईआर कराया और उसके उपरांत सफलतापूर्वक चुनाव कराए, इसके लिए उसे साधुवाद दिया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष उसकी आलोचना करने के साथ नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित क्षेत्रों में हो रहे एसआईआर का विरोध कर रहा है। विपक्ष शासित राज्य और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल एसआईआर का कुछ ज्यादा ही विरोध कर रहे हैं।

बंगाल की मुख्यमंत्री ने एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग को चिन्हित लिया है और उसे अनावश्यक बताया है। वे ऐसा इसके बाद भी कह रही हैं कि बंगाल में रह रहे हजारों बांग्लादेशी वापस अपने देश लौट रहे हैं। यह एसआईआर का ही असर है कि तमाम बांग्लादेशी बांग्लादेश लौटने को आतुर हैं। वे इसीलिए लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धूसपैठ की थी। उनके बांग्लादेश लौटने से गृहमंत्री अमित शाह की यह बात सही सिद्ध होती है कि देश में धूसपैठ रह रहे हैं और वे भारत के पांच राज्यों का दोहरा रुप हैं।

दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरह एक रैली करने जा रही है, उससे साफ है कि वह इस मुदे पर अपने द्यूटे अभियान को जारी रखेगी। इसके संकेत राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं के चुनाव आयोग के खिलाफ आए बयानों से मिल रहा है।

राहुल गांधी चुनाव आयोग को जिस तरह निशाने पर ले रहे हैं, वह एक संवैधानिक संस्था का अपमान ही है। वे संवैधानिक संस्था को कमज़ोर करने की कोशिश में खुद के साथ अपने दल को ही कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को सही मान रहा है। भले ही विपक्षी नेताओं समेत कुछ कथित लोकांत्र हितैषी 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों, पर इसमें संदेह है कि वे वहां से इस प्रक्रिया को रुकवा सकेंगे।

विपक्ष यह समझने से इन्कार कर रहा है कि वह द्यूटे आरोपों के सहारे न तो जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकता है और न ही भाजपा की राजनीतिक बढ़त को रोक सकता है। बिहार में बड़ी जीत के साथ देश भर में भाजपा के विधायकों की संख्या 1654 हो चुकी है, जो उसके लिए एक रिकार्ड है। आने वाले समय में उसके विधायकों की संख्या में और वृद्धि होना तय है।

यदि विपक्ष को भाजपा की राजनीतिक बढ़त रोकनी है तो उसे अपना नैरेटिव ऐसा बनाना होगा, जिससे वह लोगों का भरोसा जीत पाए। यह क्या दारे आरोपों के पासे रहता

